

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 79/2021

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- बंशीलाल पिता वरदा नाई नि. बांसी तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- मिट्टुलाल पिता फतहलाल नाई नि. बांसी तहसील बड़ीसादड़ी
- 3- ओमप्रकाश पिता फतहलाल नाई नि. बांसी तहसील बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमती लीला बाई पत्नी जगदीश नाई नि. बांसी तहसील बड़ीसादड़ी

-वादीगण

-: बनाम :-

- 1- भेरूलाल पिता बाबरु मीणा नि. रातीतलाई नि. बांसी तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्रीमती केसर बाई पुत्री बाबरु मीणा नि. रातीतलाई नि. बांसी तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीमती राधा बाई पुत्री बाबरु मीणा नि. रातीतलाई नि. बांसी तह. बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमती पार्वती बाई पत्नी बाबरु मीणा नि. रातीतलाई नि. बांसी तह. बड़ीसादड़ी
- 5- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- बंशीलाल पिता वरदा नाई नि. बांसी

आ. नं.	रकबा
1007/2	0.2125
1	0.2125

- 2- मिट्टुलाल पिता फतहलाल नाई नि. बांसी

आ. नं.	रकबा
1007/4	0.1063
1	0.1063

- 3- ओमप्रकाश पिता फतहलाल नाई नि. बांसी

आ. नं.	रकबा
1007/3	0.1062
1	0.1062

- 4- श्रीमती लीला बाई पत्नी जगदीश नाई नि. बांसी

आ. नं.	रकबा
1007/1	0.4250
1	0.4250

- 5- भेरूलाल, केसरबाई, राधाबाई पिता बाबरु मु. पार्वती बाई पत्नी बाबरु मीणा सा. रातीतलाई

आ. नं.	रकबा
1007 मीन	0.8500
1	0.8500

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



कल्पित शिवरान (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 79/2021 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- बंशीलाल पिता वरदा नाई नि. बांसी तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- मिट्टुलाल पिता फतहलाल नाई नि. बांसी तहसील बड़ीसादड़ी
- 3- ओमप्रकाश पिता फतहलाल नाई नि. बांसी तहसील बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमती लीला बाई पत्नी जगदीश नाई नि. बांसी तहसील बड़ीसादड़ी

-वादीगण

-: बनाम :-

- 1- भेरूलाल पिता बाबरु मीणा नि. रातीतलाई नि. बांसी तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्रीमती केसर बाई पुत्री बाबरु मीणा नि. रातीतलाई नि. बांसी तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीमती राधा बाई पुत्री बाबरु मीणा नि. रातीतलाई नि. बांसी तह. बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमती पार्वती बाई पत्नी बाबरु मीणा नि. रातीतलाई नि. बांसी तह. बड़ीसादड़ी
- 5- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- बंशीलाल पिता वरदा नाई नि. बांसी

आ. नं.	रकबा
1007/2	0.2125
1	0.2125

- 2- मिट्टुलाल पिता फतहलाल नाई नि. बांसी

आ. नं.	रकबा
1007/4	0.1063
1	0.1063

- 3- ओमप्रकाश पिता फतहलाल नाई नि. बांसी

आ. नं.	रकबा
1007/3	0.1062
1	0.1062

- 4- श्रीमती लीला बाई पत्नी जगदीश नाई नि. बांसी

आ. नं.	रकबा
1007/1	0.4250
1	0.4250

- 5- भेरूलाल, केसरबाई, राधाबाई पिता बाबरु मु. पार्वती बाई पत्नी बाबरु मीणा सा. रातीतलाई

आ. नं.	रकबा
1007 मीन	0.8500
1	0.8500

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



मोहर

PTO

कल्पित शिवरान (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी


न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2024/199

दिनांक : 20.8.24

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।




सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

